

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अदालत- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- डीडवाना

या- हाजरा पुत्री इस्माईल खां पत्नी गुमान खां जाति कायमखानी निवासी मदरसा के पास की ढाणीया चून्टीसर तहसील व जिला नागौर राज0।
बनाम

प्रार्थीगण :- अयुब खां पुत्र इस्माईल खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील मौलासर, जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान, वगैरा।

सं. मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...71 / 2024 सन्-2024

दिनांक	विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
05.2024	<p>प्रार्थीया हाजरा पुत्री इस्माईल खां पत्नी गुमान खां जाति कायमखानी निवासी मदरसा के पास की ढाणीया चून्टीसर तहसील व जिला नागौर राज0 ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अयुब खां पुत्र इस्माईल खां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील मौलासर, जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर सुना गया तथा रेकॉर्ड का अवलोकन किया। रेकॉर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद छापरी खुर्द, पटवार हल्का-छापरी खुर्द के खसरा नम्बर 166, 167, 168, 169, 170 व 191 की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व किसी प्रकार का बैचाण नही करें। अप्रार्थीगण को कोई उच्च एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।2. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 04.07.2024 को पेश हो। <p><i>Wheas</i> उपखण्ड अधिकारी डीडवाना</p> <p>4/7/24</p> <p>अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर प्यारे है। मिसल दिनांक 20/8/24 को पेश हो।</p>	



18/6/25

पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर फारे है।
मिसल दिनांक 27/6/25 को पेश हो

27/6/25

पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर फारे है।
मिसल दिनांक 27/6/25 को पेश हो

8/7/25

वकुलाप उपर)

राजिक आदेश की पालना के पत्रावली बरत हेतु (दिनांक
16/7/25 को पेश हो)

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
'डीडवाना

16/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उधीभा उपस्थित)

वकील उधीभा की बरत जारी गई। वकील उधीभा के कथन
कि वह न्यायालय भीजन करा जाती अतरीक खण्ड आदेश
दिनांक 27/5/2024 को कन्फर्म किया जावे। वकील उधीभा
की बरत पर भजन करे एवं रेकर्ड के प्रवर्तन अरान्त
न्यायालय द्वारा अंतर्वेग खण्ड आदेश दिनांक 27/5/2024
को मूल वाद के निर-तारण तक कन्फर्म किया जाता है।
(पत्रावली केवल मुकदमा खण्ड नम्बर के कर हो)

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
'डीडवाना